प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक,
आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद
शिक्षा केन्द्र–2 समुदाय केन्द्र,
प्रीति विहार, नई दिल्ली।

पत्रांक –एन0ओ0सी0 / / 2011–12 दिनांक : 21 दिसम्बर, 2011

विषय :– क्रास बेली इण्टरनेशनल स्कूल, कुकुड़ीपुर, सठियांव, आजमगढ़ को सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु आपत्ति प्रमाण–पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धो के अधीन आपत्ति नही है–

1 विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

2 विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

3 विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति / जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद् / बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा सचालित विद्यालयों मे विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

4 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेण्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एजूकेशन नई दिल्ली / कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषदो से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ0 प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वत समाप्त हो जायेगा।

5 संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियो की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तो से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ता नही दिये जायेगें।

6 कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनायी जायेंगी और उन्हे सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियो को अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

PRINCIPAL
Cross Belly International School
Kukuripur, Sathiaon-Azamgarh

MANAGER
Cross Belly International School
Kukuripur,Sathioan-Azamgarh

7 राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।

8 विद्यालय के रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।

9 उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/ परिवर्धन नहीं किया जायेगा।

2— उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण—पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय

(अरविन्द कुमार पाण्डेय)
संयुक्त शिक्षा निदेशक
आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़

पृ0सं0/एन0ओ0सी0/ 6718-26 /2011–12 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. आयुक्त, आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़।
3. शिक्षा निदेशक (मा0), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी, आजमगढ़।
5. जिला विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़।
6. निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. प्रबन्धक, क्रास बेली इण्टरनेशनल स्कूल, कुकुड़ीपुर, सठियांव, आजमगढ़।
8. गार्ड फाइल।

(अरविन्द कुमार पाण्डेय)
संयुक्त शिक्षा निदेशक
आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़

PRINCIPAL
Cross Belly International School
Kukuripur, Sathiaon-Azamgarh

MANAGER
Cross Belly International School
Kukuripur,Sathioan-Azamgarh

कार्यालय संयुक्त शिक्षा निदेशक, आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़।

आदेश संख्या/एन0ओ0सी0/ 7407-14 /2011-12 दिनांक- 13-03-2012

विज्ञप्ति/संशोधन

कार्यालय के पत्रांक-एन0ओ0सी0/6718-26/2011-12 दिनांक 21 दिसम्बर, 2011 द्वारा क्रास बेली इण्टरनेशनल स्कूल, कुकुड़ीपुर सठियाव, आजमगढ़ को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।

उक्त निर्गत आदेश के प्रथम पैरा के तीसरी पंक्ति में त्रुटिवश आपत्ति प्रमाण--निर्गत किये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है, टंकित हो गया है, जिसके स्थान पर "अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है," पढ़ा जाय।

उपर्युक्त आदेश इस सीमा तक संशोधित किया जाता है। शेष प्रतिष्टियां यथावत् रहेंगी।

13/3/12

श्रीमती (सुशीला दास)
संयुक्त शिक्षा निदेशक
आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़

पृ0सं0/एन0ओ0सी0/ 7407-14 /2011-12 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. आयुक्त, आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़।
3. शिक्षा निदेशक (मा0), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी, आजमगढ़।
5. जिला विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़।
6. निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. प्रबन्धक, क्रास बेली इण्टरनेशनल स्कूल, कुकुड़ीपुर, सठियांव, आजमगढ़।
8. गार्ड फाइल।

13/3/12

श्रीमती (सुशीला दास)
सयुक्त शिक्षा निदेशक
आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़

PRINCIPAL
Cross Belly International School
Kukuripur, Sathiaon-Azamgarh

MANAGER
Cross Belly International School
Kukuripur,Sathioan-Azamgarh